2020 का विधेयक संख्यांक 60

[दि मिनीरल लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रवर्तन ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह 10 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

(3) इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह राष्ट्रपति के अनुमति की तारीख से साठ दिन की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् निरसित हुआ समझा जाएगा ।

अध्याय 2

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन

नई धारा 4ख का अंत:स्थापन ।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1957 का 67

उत्पादन में दक्षता हेतु शर्तें ।

"4ख. धारा 4क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार देश में खनिजों का अविरत उत्पादन बनाए रखने के हित में ऐसी शर्तें विहित कर सकेगी जो ऐसे खनन पट्टा धारकों द्वारा, जिन्होंने धारा 8ख के अधीन अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति इत्यादि अर्जित किए हैं, उत्पादन प्रारंभ करने और जारी रखने के लिए समीचीन हों ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों की बाबत भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे अनुदत्त करने के लिए वहां अपेक्षित नहीं होगा, —

(i) जहां कोई आबंटन आदेश धारा 11क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है ; या

(ii) जहां किसी क्षेत्र के आरक्षण की कोई अधिसूचना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारा 17क की उपधारा (1क) या उपधारा (2) के अधीन जारी की गई है ; या

(iii) जहां कोई निधान आदेश या कोई आबंटन आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है ।"। 2015 का 11

धारा 8क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, पट्टा कालावधि के अवसान के पूर्व खनन पट्टे की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने से राज्य सरकारों को निवारित नहीं करेगी ।"।

नई धारा 8ख का अंत:स्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कानूनी अनापत्तियों के अंतरण के लिए उपबंध ।

"8ख. (1) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न, खनिजों को लागू होंगे ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टों के सफल बोली लगाने वाले और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित बोली लगाने वाले में सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए वैसे ही निहित समझे

जाएंगे जैसे पूर्व पट्टाधारी में थे :

परंतु ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाएं, ऐसा नया पट्टाधारी ऐसा नया पट्टा अनुदत्त करने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सभी आवश्यक अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति वैसे ही आवेदन करेगा और प्राप्त करेगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नया पट्टा प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक, नए पट्टाधारी के लिए ऐसी भूमि पर खनन संक्रियाएं जारी रखना विधिपूर्ण होगा जिस पर पूर्व पट्टाधारी खनन संक्रियाएं कर रहा था ।"।

धारा 10ग का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10ग की उपधारा (2) में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु गैर-समाविष्ट भूमिक्षण अनुज्ञापत्र धारक, गहराई में स्थित खनिजों या ऐसे खनिजों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विहित स्तर पर खोज करता है, राज्य सरकार को धारा 11 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या धारा 10ख के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कोई खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, केन्द्रीय सरकार ऐसे खनिजों के भूमिक्षण और पूर्वेक्षण संक्रियाओं की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत धारकों के चयन के लिए बोली लगाने के मापदंड भी हैं, विहित करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "गहराई में स्थित खनिजों" से ऐसे खनिज जो ऐसी भूमि की सतह, खराब सतह अभिव्यक्तियों वाली, तीन सौ मीटर से अधिक की गहराई पर हों, अभिप्रेत हैं ।'।

धारा 11क का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 11क में,—

(i) पार्श्वशीर्ष में "या खनन पट्टा" शब्दों के पश्चात् "या कोयला या लिग्नाइट के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उपधारा (1) में,—

(क) आरंभिक भाग में "किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अंतर्विष्ट है" शब्दों के स्थान पर "या कोयला या लिग्नाइट के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कोयला या लिग्नाइट भूमिक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का घरेलू उपभोग या विक्रय या अन्य प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।";

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा नीलामी कोयला या लिग्नाइट को लागू नहीं होगी—

(क) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या

राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को घरेलू उपभोग या विक्रय या अन्य प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है ;

(ख) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसके अंतर्गत अति बृहत विद्युत परियोजनाएं भी हैं) मंजूर की गई है, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है ।" ;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) "खनन पट्टा" शब्दों के पश्चात् "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "प्रतिस्पर्धी बोली या अन्यथा" शब्दों के स्थान पर "प्रतिस्पर्धी बोली या आबंटन के माध्यम से" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कक) धारा 4ख के अधीन खनन पट्टे के धारकों द्वारा उत्पादन को आरंभ करने और जारी रखने के लिए ऐसी शर्तें जो आवश्यक हों ;

(कख) धारा 8ख की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन सभी आवश्यक अधिकारों, अनुमोदनों अनापत्तियों, अनुज्ञप्तियों और वैसी अभिप्राप्त करने के लिए पट्टाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें;

(कग) धारा 10ग की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन गहराई में छिपे खनिज या ऐसे खनिज और प्रक्रिया की बाबत खोज का विस्तार करना है जिसके अंतर्गत धारकों के चयन के लिए बोली करने के लिए पैरामीटर भी हैं ;" ;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) कोयला और लिग्नाइट की बाबत प्रतिस्पर्धी बोली और नीलामी द्वारा निबंधन, शर्तें और नीलामी की प्रक्रिया ;

(घक) कोयला और लिग्नाइट की बाबत भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा ;

(घख) खानों और उसके अवस्थानों के ब्योरे, ऐसी खानों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें जो कोयला या लिग्नाइट भूमिक्षण, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(घग) कोयला या लिग्नाइट की उपयोगिता जिसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है ;" ।

धारा 17क का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2क) में, परंतुक में "भाग क और" शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 3

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का संशोधन

2015 का 11

धारा 4 का संशोधन ।

10. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो", शब्दों के स्थान पर "कोयला की बाबत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कोयला भूमिक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं स्वयं के उपभोग, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए और राज्य सरकार ऐसी कंपनी को जो इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से स्वयं के लिए चयन किया जाए, अनुसूची 1 के ऐसे कोयला खान की बाबत जिसमें कोयला हो ऐसा भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा भी मंजूर करेगी ।";

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में,—

(i) "उपधारा (1) और उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "किसी ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अनुसूची 1 की कोयला खान की बाबत खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) पहले परंतुक में, "यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (4) के खंड (ख) में "खनन पट्टे" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (8) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (9) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (12) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(13) उस रीति में जो विहित की जाए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निधान आदेश या आबंटन आदेश को समाप्त किया जा सकता है ।

(14) निधान आदेश या आबंटन आदेश की समाप्ति पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 4 के अधीन कोयला खान की नीलामी कर सकता है या धारा 5 के अधीन कोयला खान का आबंटन कर सकता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जा सके ।

(15) कोयला खान के ऐसे सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती जिनका निधान आदेश या आबंटन आदेश समाप्त हो गया है उक्त कोयला खान के तुरंत अगली नीलामी या आबंटन के प्रयोजन के लिए पूर्विक आबंटिती समझा जाएगा ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) आरंभिक भाग में "अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में भूमि" शब्द से आरंभ होने वाले और "संवितरित किए जाएंगे" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कोयला खान के संबंध में अनुसूची 1 जो धारा 16 के अनुसार मूल्यवान है भूमि और खान अवसंरचना के लिए प्रतिकर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती द्वारा जमा किया जाएगा और अन्य बातों के साथ सुसंगत विधियों और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं संदायों की निम्नलिखित पूर्विकता बनाए रखते हुए संवितरित किए जाएंगे,—";

(ii) खंड (ख) में "संदेय प्रतिकर" शब्दों के स्थान पर "संदेय रकम" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में, "अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन पूरा नहीं होता है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुसूची 2 कोयला खानों का आबंटन पूरा नहीं होता है, या इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया निधान आदेश या आबंटन आदेश उत्पादन के अधीन कोयला खान के मामले में समाप्त हो गया हो" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) उपधारा (1) में "सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती या कोयला अनुबंध धारक" शब्दों के स्थान पर "सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी विशिष्ट अनुसूची 1 कोयला खान से वैसे ही विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगे उसके किन्हीं संयंत्रों या उसके समनुषंगी संयंत्रों या नियंत्री कंपनी के लिए भी कोयला, खान का उपयोग कर सकेगा ।" ।

धारा 31 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठक) धारा 8 की उपधारा (13) के अधीन निधान आदेश या आबंटन आदेश की समाप्ति की रीति ;"।

2020 का अध्यादेश सं० 1

5

17. (1) खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को निरसित किया जाता है ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) मूल अधिनियम के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा संशोधन किया गया है, की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, जिसे इस अधिनियम द्वारा किया गया है, की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (खान और खनिज अधिनियम) संघ के नियंत्रणाधीन विकास और विनियमन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित की गई थी ।

2. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (कोयला खान अधिनियम) कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफल बोली लगाने वालों को और आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खनन अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित को निहित करने का तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित करती है ।

3. लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोमाइट अयस्क की 334 खानों की बाबत खनन पट्टे 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रहे हैं जिसमें से 46 अनाबद्ध खान कार्यरत हैं । यह देखा गया है कि कुछ राज्यों ने इन ब्लाकों की नीलामी के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है । तथापि, विभिन्न सरकारी अभिकरणों से बीस से अधिक निकासी अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही नीलामी के माध्यम से खनन आबंटित करने के लिए कोयला खनन संक्रियाएं आरंभ की जा सकेंगी । यह प्रक्रिया खनिज के खनन संक्रियाएं और पश्चातवर्ती उत्पादन के प्रारंभ करने में अनियमित कारित करता है । इसके अतिरिक्त, खान और खनिज अधिनियम और कोयला खान अधिनियम के अधीन कोयला ब्लाकों के आबंटन के दौरान कतिपय कठिनाइयां होती हैं जिसे शीघ्रता से पता लगाना आवश्यक हो गया है ।

4. खनन सेक्टर में उपरोक्त कठिनाइयों को अभिभूत करने के लिए खान और खनिज अधिनियम और कोयला खान अधिनियम में कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गया है जिससे कि सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन निकासी, अनुज्ञप्ति कोयला, लिग्नाइट और सदृश परमाणु खनिजों से भिन्न खनिजों की दशा में नए पट्टेदार को दो वर्ष की अवधि के लिए बेजोड़ अंतरण सुविधा हो सके ।

5. खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 जो अन्य बातों के साथ-साथ खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के बदले में लाने के लिए निम्नलिखित उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) खान और खनिज अधिनियम में नई धारा 4ख का अंत:स्थापन, ऐसे खनन पट्टा धारकों द्वारा जिन्होंने धारा 8ख के अधीन अधिकार अर्जित किया है खनिजों के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु केन्द्रीय सरकार को शर्तें विहित करने के लिए सशक्त करने का ;

(ii) खान और खनिज अधिनियम में नई धारा 8ख का अंत:स्थापन, कानूनी निकासी के अंतरण के लिए उपबंध संबंधी ;

(iii) खान और खनिज अधिनियम की धारा 5 का संशोधन, प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों की बाबत केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन से छुटकारा के लिए उपबंध करने का ;

(iv) खान और खनिज अधिनियम की धारा 10ग का संशोधन, गहराई में छिपे

खनिजों को खोजने के लिए प्रेरणाएं उपबंध करने का ;

(v) खान और खनिज अधिनियम की धारा 11क का संशोधन करने, जिससे कि एकीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा के लिए कोल ब्लॉक की स्थापना करने के उपबंध करने का ;

(vi) कोयला खान अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने, जिससे कि किसी प्रयोजन के लिए खानों की आबंटन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति को स्पष्ट किया जा सके, का ;

(vii) कोयला खान अधिनियम की धारा 4, धारा 5 और धारा 8 का संशोधन, एकीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा के लिए कोयला खानों के आबंटन करने का ;

(viii) कोयला खान अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने, जिससे कि प्रतिकर की रकम के संवितरण की पूर्विकता को स्पष्ट किया जा सके, था ;

6. संसद सत्र में नहीं थी तथा संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन तुरंत विधान बनाना अपेक्षित था, राष्ट्रपति द्वारा खनिज विधि अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) प्रख्यापित किया गया ।

7. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
20 फरवरी, 2020

प्रल्हाद जोशी

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 का खंड 8 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जो निम्निलिखित विषयों में से सभी या किसी का उपबंध करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है :-

(i) धारा 4ख के अधीन खनन पट्टे के धारकों द्वारा उत्पादन को आरंभ करने और जारी रखने के लिए ऐसी शर्तें, जो आवश्यक हों;

(ii) धारा 8ख की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन सभी आवश्यक अधिकारों, अनुमोदनों, अनापत्तियों, अनुज्ञप्तियों और वैसी अभिप्राप्त करने के लिए पट्टाकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें ;

(iii) धारा 10ग की उपधारा (2) के परतुंक के अधीन गहराई में छिपे खनिज या ऐसे खनिज और प्रक्रिया की बाबत खोज का विस्तार करना है जिसके अंतर्गत धारकों के चयन के लिए बोली लगाने के लिए पैरामीटर भी है ;

(iv) धारा 11क के अधीन कोयला और लिग्नाइट की बाबत प्रतिस्पर्धी बोली और नीलामी द्वारा निबंधन, शर्तें और नीलामी की प्रक्रिया;

(v) धारा 11क के अधीन कोयला और लिग्नाइट की बाबत भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा ;

(vi) धारा 11क के अधीन खानों और उसके अवस्थानों के ब्यौरे, ऐसी खानों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें, जो धारा 11क के अधीन कोयला या लिग्नाइट भूमिक्षण, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के लिए आवश्यक हो ;

(vii) धारा 11क के अधीन कोयला या लिग्नाइट की उपयोगिता जिसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है;

विधेयक का खंड 16 कोयला खनन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जो निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी का उपबंध करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है :-

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा मंजूर करने के निबंधन और शर्तें तथा प्रतिस्पर्धी की बोली की रीति और शर्तें;

(ii) धारा 8 की उपधारा (13) के अधीन निधान आदेश या आबंटन आदेश की समाप्ति की रीति ;

2. वे विषय, जिनकी बाबत उक्त नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

* * * * *

भूमिक्षण अनुक्षापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का मंजूर किया जाना ।

11क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है, भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाए, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निलामी द्वारा निम्नलिखित कंपनियों में से किसी का चयन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सह उद्यम कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी ; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई कंपनी या सह-उद्यम कंपनी,

जो, भारत में कोयला खनन संक्रियाएं यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चला सकेंगी ।

* * * * *

(3) राज्य सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है, ऐसी कंपनी को जिसका इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से या अन्यथा चयन किया गया है, भूमिक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा निलामी किसी क्षेत्र को लागू नहीं होगी, जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है—

(क) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है ;

(ख) ऐसी क्षेत्र पर किसी ऐसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसके अन्तर्गत अतिवृहत विद्युत परियोजनाएं भी हैं) मंजूर की गई है, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है ।

2013 का 18

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ।

* * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम

खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1) * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के उपबन्ध कर सकेंगे,

अर्थात् :—

(क) वह व्यक्ति जिसके द्वारा और वह रीति जिससे उस भूमि के बारे में, जिसके खनिज सरकार में निहित हों, भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों के लिए आवेदन दिए जा सकेंगे और वे फीसें जो उनके लिए दी जानी हैं ;

* * * * *

(घ) धारा 11क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा निलामी के निबंधन और शर्तें, खानों और उनके अवस्थानों के ब्यौरे, ऐसी खानों का नियंत्रण आकार और ऐसी अन्य शर्तें, जो कोयला खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, जिसके अन्तर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है ।

* * * * *

संरक्षण के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र का आरक्षण ।

17क. (1) * * * *

(2क) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1क) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी क्षेत्र को पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करने के लिए आरक्षित करती है, वहां राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र की बाबत ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करेगी :

परन्तु राज्य सरकार, प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अनुदत्त करेगी ।

* * * * *

(3) जहां, उपधारा (1क) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार] किसी ऐसे क्षेत्र में, जिनमें खनिज किसी प्राइवेट व्यक्ति में निहित है, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करती है, वहां वह समय-समय पर, यथास्थिति, पूर्वेक्षण फीस, स्वामिस्व, भूमि भाटक या अनिवार्य भाटक का उसी दर से संदाय करने के दायित्वाधीन होगी जिस पर इस अधिनियम के अधीन तब संदेय होता यदि ऐसी पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की गई होती ।

* * * * *

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 11) से उद्धरण

अध्याय 2

नीलामी और आबंटन

निलामी में भाग लेने की पात्रता और फीस का संदाय ।

4. (1) * * * *

(2) इस धारा की उपधारा (3) और धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, भूमीक्षण अनुकरण, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाएं, प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से, निम्नलिखित कंपनियों में से किसी

का चयन कर सकेगी—

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई कंपनी या कोई सह-उद्यम कंपनी,

जो भारत में कोयला खनन संक्रियाएं, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए चला रही है और राज्य सरकार ऐसी कंपनी को जिसका इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से स्वयं के लिए चयन किया जाए, ऐसे किसी क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, ऐसा भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी ।

(3) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति, जो ऐसे मानकों को, जो विहित किए जाएं, पूरा करते हैं, अनुसूची 2 कोयला खानों और अनुसूची 3 कोयला खानों की किसी नीलामी में बोली लगाने और उनके सफल बोली लगाने वाले होने की दशा में कोयला खनन संक्रियाओं में लगने के पात्र होंगे, अर्थात् :—

(क) विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगी कोई कंपनी, जिसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी है, जिसके पास ऐसा कोयला अनुबंध है जिसने ऐसा विनिधान किया है, जो विहित किया जाए ।

स्पष्टीकरण—"कोयला अनुबंध वाली कंपनी" के अंतर्गत ऐसी कोई कंपनी है, जिसका आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ख) सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाली और इस अधिनियम के अनुसार बोली लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से पात्र दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी;

(ग) कोई सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाली किसी अन्य कंपनी के साथ बनाई गई कोई सह-उद्यम कंपनी:

परन्तु उपधारा (2) में अंतविष्ट कोई बात इस उपधारा को लागू नहीं होगा ।

* * * * *

सरकारी कंपनियों या निगमों को खानों का आबंटन ।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी सरकारी कंपनी या निगम को अथवा दो या अधिक सरकारी कंपनियों या निगमों के बीच किसी सह-उद्यम को या किसी ऐसी कंपनी को, जिसे ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहिति किए जाएं, कोई आबंटन आदेश करके, विनिर्दिष्ट अनुसूची 1 कोयला खानों से टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर, कोई विद्युत परियोजना (जिसके अंतर्गत अतिवृद्यत् विद्युत परियाजनाओं भी है) प्रदान की गई है, कोई अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित कर सकेगी और राज्य सरकार, ऐसी कंपनी या निगम को किसी ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला है, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी :

परंतु सरकारी कंपनी या निगम, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोयला खनन कर सकेगा:

* * * * *

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निधान आदेश या आबंटन आदेश का जारी किया जाना ।

8. (1) * * * *

(4) निधान आदेश से, सफल बोली लगाने वाले को निम्नलिखित अंतरित किया जाएगा और उसमें निहित होगा, अर्थात्:—

* * * * *

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी खनन पट्टे की हकदारी;

* * * * *

(8) निधान आदेश के निष्पादन पर, अनुसूची 1 कोयला खान की सफल बोली लगाने वाले को संबंधित राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार यथा लागू, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा । 1957 का 67

(9) किसी सरकारी कम्पनी या निगम या, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को या भारत में निगमित ऐसी किसी अन्य कंपनी को जिसे अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित की गई हो, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार यथा लागू, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा । 1957 का 67

* * * * *

आगमों के संवितरण की पूर्विकता ।

9. अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में भूमि और खान अवसंरचना से उद्भूत होने वाले आगम, अन्य बातों के साथ-साथ, ससुंगत विधियों और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, संदायों की पूर्विकता बनाए रखते हुए संवितरित किए जाएंगे,—

* * * * *

(ख) पूर्विक आबंटिती को अनुसूची 1 कोयला खान की बाबत संदेय प्रतिकर ।

* * * * *

केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित अभिरक्षक को नियुक्त किया जाना ।

18. (1) नियत तारीख से ही यदि अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन पूरा नहीं होता है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोयला खानों के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, प्रबंध और प्रचालन के लिए किसी व्यक्ति की अभिहित अभिरक्षक के रूप में नियुक्ति करेगी ।

* * * * *

अध्याय 5

कतिपय ठहराव

केन्द्रीय सरकार की कतिपय ठहरावों का अनुमोदन करने की शक्ति ।

20. (1) कोई सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती या कोयला अनुबंध-धारक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, यथास्थिति, अन्य सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती या कोयला अनुबंध-धारक के साथ, लोकहित में और लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए समान अंतिम उपयोग हेतु कोयला खान के अधिकतम उपयोग के लिए कतिपय करार या ठहराव करने का हकदार होगा ।

(2) सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, किसी विशिष्ट अनुसूची 1 कोयला खान से सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगे हुए उसके किन्हीं संयंत्रों के लिए भी कोयला खान का उपयोग कर सकेगा ।

* * * * *

31. (1) * * * * नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पुर्वेक्षण अनुज्ञाप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के निबंधन और शर्तें तथा प्रतिस्पर्धी बोली की रीति और शर्तें;

* * * * *

(ठ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन बैंक प्रत्याभूति देने का प्ररूप और रीति तथा समय जिसके भीतर ऐसी बैंक प्रत्याभूति दी जाएगी;

* * * * *

MGIPMRND—5486LS(CRC)—27-2-2020.